कार्यालय नगर परिषद रेहटी, जिला सीहोर(म.प्र.)

Tel. No. 07564-232411 Email Add.- cmorehati@mpurban.gov.in

क्रमांक / न0पा0 / स्था0 / दि0भर्ती0 / 2024 872 से 882 रेहटी, दिनांक 23 / 08 / 2024

::विज्ञापन::

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका कमांक 7275 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 30 / 01 / 2024, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07–19 / 2019 / आ.प्र. / 1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र कमांक / 676 / 16017123 / 2023 / 18–1 दिनांक 16.02.2023 संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / स्था / एक / 201 / प्र.शि. / 2024 / 3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामन्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र कमांक एफ8–2 / 2013 / आ.प्र. / एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए **01(एक) पद का नाम सफाई संरक्षक (चतुर्थ श्रेणी)** के आरक्षित पद / पदों की पूर्ति वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। हइ हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 09 / 09 / 2024 कार्यालयीन समय 5:00 बजे सायंकाल तक आवेदन–पत्र प्रेषित करें। निर्धारित सयमावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नही किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय / कार्यालय उत्तरदायी नही होगा। दिव्यांजनो हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:–

सरल क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनो की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लथनग डिसेबिलिटि और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ श्रेणी	8000 /– प्रतिमाह या वर्तमान प्रचलित कलेक्टर दर पर जो भी अधिक हो।	–	–	1	–	5वी कक्षा उत्तीर्ण	पृथक से डाक एवं मेल के माध्यम से सूचित किया जावेगा।
योग:–				–	–	1	–	–	–

मुख्य शर्तेः–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण–पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रो की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3–38 / 16 / 1 / 3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष आरक्षित वर्ग–अनु.जा.,अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम / मण्डल / स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक / नि:शक्तजन / महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शसन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–3–8 / 2016 / 3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी3–38 / 16 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय मे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

Scanned with CamScanner

आवेदक को वॉक–इन–इंटव्यू/साक्षत्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।

6. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। दिव्यांता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भी मान्य होगे।

7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।

8. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।

10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।

11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए आयोग्य माना जायेगा।

12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पर के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।

13. आवेदन–पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

14. सीधी/बैकालॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।

15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण दिये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदाकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।

16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारुप में नही है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रुपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यणथयों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

18. यक कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यणथयों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने है, जिसमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नही होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।

20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रुप में दी जायेगी।

21. दिव्यांजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथ सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेंगी।

22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

(राजेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रेहटी, जिला – सीहोर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रेहटी,
जिला सीहोर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

क / न0पा0 / स्था0 / दि0भर्ती0 / 2024 / 872 – 882 रेहटी, दिनांक 23 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय संभाग भोपाल की सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय जिला सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
5. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अधिकरण जिला सीहोर की सूचनार्थ
6. जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर की और सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, नगर परिषद रेहटी जिला सीहोर की और सूचनार्थ।
8. कार्यालय सूचना पर्टल पर चस्पा एवं विभाग की बेबसाइड पर प्रकाशन हेतु।
9. सम्पादक दैनिक जागरण / दैनिक हरि भुमि / स्वदेश की ओर समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेश में प्रकाशनार्थ।

(राजेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रेहटी जिला – सीहोर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रेहटी,
जिला सीहोर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

...यालय जबल...
...न विभाग के...
...के पत्र क्रमां...
पत्र व...
...ल

स्व–प्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें।

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

कार्यालय का नाम/पूरा पता/टेलिफोन नम्बर

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम...
2. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम...
3. आवेदक/आवेदिका की माता का नाम..
4. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि(जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार)वर्ष.................. ....माह..दिन..
5. दिनांक.....................................को आयु वर्ष..............................माह..............................दिन...............................
6. आवेदक/आवेदिका का लिंग(पुरूष/महिला/अन्य)...
7. निःशक्तता का डिजीटील प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां/नही)..
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत...
9. आवेदक/आवेदिका की जाति..
10. आवेदक/आवेदिका का यदि विवाहित हो तो विवाह प्रमाणपत्र अनुसार विवाहकी दिनांक....................
11. जीवित संतानों का विवरण...
12. वर्तमान पता/पिन कोड़...
13. स्थाई पता/पिन कोड़...
14. पत्राचार का पता/पिन कोड़...
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम...............................
16. संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण...
17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं(प्रमाण–पत्रो की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18. अनुभव यदि होतो उसका विवरण...
19. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण...
20. ईमेल आई.डी..
21. मोबाईल नंबर 1...2..

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा–पत्र

"मै घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्स पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावें।"

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर परिषद रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)

Tel. No./Fax No.- 07564-232411
Email Add.- cmorehati@mpurban.gov.in

विज्ञापन

क्रमांक / न.प.रे. / स्था. / दि.भर्ती / 2024 / 882 रेहटी, दिनांक 23 / 08 / 2024

डबलू.पी.नं. 72755/2019 NATIONAL FEDERATION OF THE BLIND MP BRANCH विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य, दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति अभियान विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरखित निम्न पदों की पूर्ति के लिये पात्र अभ्यार्थियों से संलग्न प्रारुप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन दिनांक 09 / 09 / 2024 को शाम 5.00 बजे तक डाक अथवा व्यक्तिशः नगरपालिका परिषद, रेहटी जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

सरल क.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनो की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लथनग डिसेबिलिटि और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ श्रेणी	8000/– प्रतिमाह या वर्तमान प्रचलित कलेक्टर दर पर जो भी अधिक हो।	–	–	1	–	5बी कक्षा उत्तीर्ण

मुख्य शर्तेः–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. इस विज्ञापन के जारी होने की दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।
3. आवेदक का म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष के लिये 21 वर्ष, महिला के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उक्त पद के लिये उसे अयोग्य माना जावेगा।
5. प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद मेरीट के आधार पर चुनिंदा अभ्यार्थियों को वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षरता के लिये आमंत्रित किया जावेगा। उक्त की सुचना आवेदक की मेल आईडी पर दी जावेगी।
6. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिये।
8. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी निकाय की बेबसाइट https\\www.nprehti.co.in कलेक्टर कार्यालय, सीहोर जिला सीहोर नगर परिषद रेहटी निकाय के सूचना पोर्टल पर देखी जा सकती है।
9. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।
10. आवेदन भेजने का पता मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद, रेहटी नये बस स्टेड के पास रेहटी जिला सीहोर पिनकोड 466446
11. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(राजेन्द्र मीना पटेल)
अध्यक्ष
नगर परिषद रेहटी, जिला – सीहोर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रेहटी, जिला – सीहोर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रेहटी,
जिला सीहोर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

/ न0पा0 / स्था0 / दि0भर्ती0 / 2024 / 882

रेहटी, दिनांक 23/08/2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय संभाग भोपाल की सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय जिला सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
5. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अधिकरण जिला सीहोर की सूचनार्थ
6. जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर की और सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, नगर परिषद रेहटी जिला सीहोर की और सूचनार्थ।
8. कार्यालय सूचना पर्टल पर चस्पा एवं विभाग की वेबसाइड पर प्रकाशन हेतु।
9. सम्पादक दैनिक जागरण / दैनिक हरि भुमि / स्वदेश की ओर समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेश में प्रकाशनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रेहटी जिला – सीहोर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रेहटी,
जिला सीहोर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner